भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1237

दिनांक 09.02.2021/ 20 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस प्रणाली को मजबूत बनाना

1237. श्री संजय भाटिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार अपराधियों द्वारा किए जा रहे साइबर अपराधों और अन्य प्रकार के अपराधों के मद्देनज़र राज्यों के समन्वय से कोई कार्य योजना बनाएगी, जिससे राजयों की पुलिस प्रणाली और प्रशासन के सुदृढ़ होने की संभावना है, ताकि उनकी पहचान करके विभिन्न प्रकृति के अपराधों को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में विभिन्न वैज्ञानिक और प्रौद्ययोगिकी संस्थानों की सहायता से तकनीकी ज्ञान के साथ देश की पुलिस प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (घ): भारत के संविधान के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, साइबर अपराधों सहित सभी प्रकार के अपराधों को ध्यान में रखते हुए अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के तंत्र और प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाना, जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है।

लो.स.अता.प्र.सं. 1237

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है और गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों के प्रयासों में "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता" की स्कीम [पूर्व में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम (एमपीएफ)] के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को आधुनिक हथियारों, प्रशिक्षण गैजेट्स, आधुनिक संचार/फॉरेंसिक उपकरण, पुलिस व्यवस्था के साइबर उपकरण आदि की खरीद के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्यों ने पुलिस प्रणाली को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सुरक्षा योजनाओं के नाम से 3 से 5 वर्ष की कार्य योजनाएं तैयार की है। प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकारों को केंद्रीय अंश प्रदान किया जाता है और राज्य का अंश शामिल करने के पश्चात, राज्य सरकारें आवश्यकता के मुताबिक मदों को शामिल करते हुए तथा साइबर अपराधों से निपटने की रणनीतिक प्राथमिकताओं को शामिल करके "राज्य कार्य योजनाएं (एसएपी)" तैयार करती हैं और इन राज्य कार्य योजनाओं (एसएपी) पर मंत्रालय में उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा विचार किया जाता है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान, इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों हेतु किये गये बजटीय आबंटनों और जारी राशियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आबंटन	जारी राशियां
2015-16	662.11	662.11
2016-17	595.00	594.02
2017-18	769.00 (ब.अ.) 452.10 (सं.अ.)	451.68
2018-19	769.00	768.83
2019-20	811.30 (ब.अ.) 791.30 (सं.अ.)	781.12

लो.स.अता.प्र.सं. 1237

राज्य कार्य योजनाएं (एसएपी) तैयार करते समय और उन्हें अनुमोदन प्रदान करते समय "समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (डीसीपीडब्ल्यू)", न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) आदि जैसे विभिन्न विशेषज्ञ संगठनों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है। गृह मंत्रालय ने रेडियो संचार के क्षेत्र में निर्धारित की गई महत्वपूर्ण/न्यूनतम राज्य स्तरीय अवसंरचना और फॉरेंसिक के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानक भी परिचालित किए हैं।

केंद्र सरकार ने भी साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने, चेतावनियां/एडवाइजरी जारी करने, विधि प्रवर्तन कार्मिकों/अभियोजकों/न्यायिक अधिकारियों का क्षमता संवर्धन/उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने और साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं में सुधार करने आदि के लिए कदम उठाए हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करने में लोगों को सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने "राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल," www.cybercrime.gov.in शुरू किया है।

******